



2026:AHC:170678

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 16967 of 2015

Raj Narayan

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Ors.

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Yogish Kumar Saxena
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 34

(SN.45)

HON'BLE ANISH KUMAR GUPTA, J.

1. Heard Sri Yogish Kumar Saxena, learned counsel for the petitioner and Sri Rajiv Gupta, learned Addl. C.S.C. for the respondents.

2. Learned counsel for the petitioner submits that only grievance which remains to be adjudicated in the instant petition is the entitlement of the petitioner for the higher Grade Pay of Rs. 4200/- payable to the petitioner on completion of ten years regular service on 01.09.2008 in terms of the Government Order dated 04.05.2010, which was also recommended in the report submitted to Tehsildar/SDM, which has been taken note of in the impugned order on 28.10.2014.

3. In paragraphs 3 and 4 of the said report reads as under:

"3- श्री राजनरायन नियमित संग्रह अमीन को दिनांक 1-9-1998 को कार्यभार ग्रहण किया और इनकी 10 वर्ष की सेवायें 1-9-2008 को पूर्ण हो चुकी हैं इसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही प्रचलित नहीं हुयी इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया, इनकी सेवायें स्वच्छ, निरन्तर रही हैं श्री राजनरायन नियमित संग्रह अमीन वेतनमान 3200-85-4900 पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200 ग्रेड 2000 में कार्यरत है। दिनांक 1-9-2008 को इन्हें 7910 ग्रेड वेतन 2000 वेतन प्राप्त हो रहा हैं

4- उपरोक्त शासनादेशों की व्यवस्थानुसार इनको उच्चीकृत वेतनमान 5500-9000 पुनरीक्षित वेतन संरचना में 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 में निम्न प्रकार वेतन का निर्धारण है।

1- वर्तमान वेतनमान 5200-202000 ग्रेड वेतन-2000

2-दिनांक 1-9-2008 को प्राप्त वेतनमान 7910+ ग्रेडवेतन 2000 = 9910

3-एक वैकल्पिक वेतन वृद्धि 3% के साथ 8210+ ग्रेड वेतन 2000 =10210

4-उच्चकृत (प्रोन्नति) वेतनमान 9300-34800+ग्रेडवेतन = 4200

5-दिनांक 01-09-2008 उच्चकृत वेतन 9300+ ग्रेडवेतन 4200=13500 (देय 1-12-2008 से)

6-दिनांक 01-07-2009 को वेतन 9710+ग्रेडवेतन 4200 = 13910

7- दिनांक 01.07.2010 को वेतनमान 10130+ ग्रेडवेतन 4200 14330

8- दिनांक 01-07-2011 को वेतन 10560+ ग्रेडवेतन 4200 = 14760

अतः श्रीमानजी अवलोकन के उपरान्त सहमत की दशा में उपरोक्तानुसार प्रथम प्रोन्नति वेतनमान 5200-202000 ग्रेड वेतन 2000 से 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 स्वीकृत एवं उपरोक्तानुसार वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृति के उपरान्त वेतन आहरित का आदेश देना चाहें।"

4. Whereas, in the impugned order dated 28.10.2014, the following observations have been made by the District Magistrate, which reads as under:

"याची द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र दिनांकित 14-10-2014 डाक द्वारा भेजा गया, जो दिनांक 17-10-2014 को रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि तहसील बिधूना से अपर जिलाधिकारी को दिशा निर्देश हेतु भेजी गई पत्रावली पर रू० 4200 पर ग्रेड वेतन निर्धारण में आपत्ति नहीं है, का उल्लेख है एवं पत्रावली पर रू० 4200 ग्रेड वेतन का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार वासिल बाकी नवीस की हठधर्मिता से रू० 2400 ग्रेड वेतन लगाकर नुकसान पहुँचाया गया। याची को पुरानी शासनादेश के तहत 14 वर्ष में पहला प्रोन्नति मिलना था परन्तु शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के तहत ए०सी०पी० के अन्तर्गत 10 वर्ष 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत सेवा के आधार पर याची को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड वेतन रू० 4200 मिलने का नियम है। उसे नहीं दिया गया एवं तहसीलदार बिधूना के आदेश दिनांक 28-5-2014 में दर्शाया कि बीमा का भुगतान कर दिया गया जबकि भुगतान नहीं मिला।

याची की व्यक्तिगत पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिस

पर ग्रेड वेतन रू० 4200 निर्धारण का कोई आदेश उप जिलाधिकारी नहीं किया गया। याची द्वारा शासनादेश बिधूना द्वारा संख्या-वे०आ०-2561/दस-62 (एम) / 2008

वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 दिनांक 04 मई 2010 का उल्लेख करते हये 10 वर्ष की अनवरत सेवा के आधार पर प्रथम पदोन्नति वेतनमान ग्रेड वेतन रू० 4200 दिये जाने का अनुरोध किया गया है, जो नियमानुसार देय नहीं है। क्योंकि उक्त शासनादेश दिनांक 4-5-2010 के प्रस्तर-3 में स्पष्ट अंकित है कि निर्धारित सेवा अवधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन पूर्व में देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेडवेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामले में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा। याची ग्रेडवेतन 2000 में कार्यरत था, जिसके अनुसार वेतन भुगतान किया जाता रहा। उक्त शासनादेश दिनांक 4-5-2010 के अनुसार 10 वर्ष की अनवरत सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन ए०सी०पी० का लाभ अगला ग्रेड वेतन रू० 2400 अनुमन्य था, जिसको उप जिलाधिकारी बिधूना द्वारा दिया गया।"

5. In this regard, the following averments made in paragraph 7 of the writ petition and in response thereto in the counter-affidavit, there is no specific denial to the said effect which reflected from paragraph 7 of the counter-affidavit, which reads as under:

"7. That the contents of paragraph No. 7 of the writ petition are not admitted as stated, hence denied. In reply thereto it is submitted that according to service period of the petitioner, all the service benefit has been provided to the petitioner according to law. "

6. In such view of the matter, since in terms of the report submitted to the SDM/Tehsildar, which has been annexed as Annexure 3 to the instant petition. The petitioner was entitled for the Grade Pay of Rs. 4,200/- on completion of 10 years continuous service under the Assured Career Progression Scheme (ACP), which has been denied by the respondents and it is also the contention of the petitioner that the similar benefit was also granted to the identically situated persons, which has been taken note of by the District Magistrate in the impugned order. However, the aforesaid aspect of the matter has been denied in paragraph 12 of the counter-affidavit that no Grade Pay of Rs. 4,200/- has been granted to the retired Seasonal Collection Amin, which is claimed by the petitioner.

7. In the impugned order, the claim of the petitioner has been rejected in view of the Government Order dated 04.05.2010, which reads as under:

"(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या-वे० आ०-2-1318/दस-59 (एम०)/2008, दिनांक 08

दिसम्बर, 2008 के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तरम्भ-5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से, अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।"

8. From the perusal of the aforesaid clause, though it is provided that from the date of the eligibility of the Government servant, he shall be granted the next Grade Pay. However, it has also been provided when financial upgradation is being done and in some of the matters, which are related to Grade Pay, which is already being paid to such Government servant and shall be in between the Grade Pay which is already being paid to the said Government servant and the next promotional Grade Pay. It has also been provided that the next promotional grade pay shall be granted to such candidates only on the actual promotion of such candidates. It is admitted case of the petitioner that before the petitioner could be promoted to the next higher post, he has retired. In such view of the matter, this Court do find any illegality in the impugned order passed by the District Magistrate on 28.10.2014.

9. Accordingly, the instant petition is ***dismissed***.

August 13, 2026
Shubham Arya

(Anish Kumar Gupta,J.)